POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.12.2025

1. थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए रैकी करके घरों में चोरी करने वाले 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की कार, 02 मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आभूषण, विदेशी करेंसी, 45,060 रूपये नगद व अन्य सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **16.12.2025** को **थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से रैकी करके घरों में चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1.विशाल पुत्र शमशाद 2.आशीष मसीह पुत्र गुडबिल मसीह 3.शाहरूख उर्फ शारूफ पुत्र शब्बीर उर्फ साबिर व 01 अभियुक्ता रूबीना पत्नी आशीष को मय चोरी के माल के गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान गिरोह के सरगना अभियुक्त आशीष मसीह के द्वारा बताया गया कि वह बरेली का रहने वाला है और उसकी पत्नी रूबीना, साला शाहरूख व उसका दोस्त विशाल चोरी में उसका सहयोग करते है। पहले आशीष मसीह व उसका दोस्त विशाल व उसका साला शाहरूख द्वारा दिन में उन घरों को चिन्हित कर लिया जाता है, जिनमें ताला लगा होता है व जहाँ पर सन्नाटा होता है, उसके बाद चिन्हित किये गये घर व चोरी की प्लानिंग के बारे में वह अपनी पत्नी रूबीना को बताता था, जिसके बाद रात के अंधेरे में घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते है। दिनांक 13-14.12.2025 की रात्रि में इनके द्वारा सेक्टर-49 नोएडा के घर का ताला तोड़कर अपने दोस्त विशाल व साले शाहरूख व पत्नी रूबीना के साथ मिलकर घर से सामान चोरी किया गया था।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विशाल पुत्र शमशाद निवासी ग्राम बन्धरा, थाना बीपुर, जिला अररिया, बिहार वर्तमान पता भट्टा वाली गली, ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39 गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष।
2. आशीष मसीह पुत्र गुडबिल मसीह निवासी मौ0 सुभाषनगर, थाना सिविल लाईन, जनपद बरेली वर्तमान पता ग्राम छलेरा, सेक्टर-44, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर उम्र 36 वर्ष।
3. शाहरूख उर्फ शारूफ पुत्र शब्बीर उर्फ साबिर निवासी ग्राम अधर्रा, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई वर्तमान पता ग्राम छलेरा, सेक्टर-44, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।

4. रूबीना पत्नी आशीष निवासी निवासी ग्राम अधर्रा, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई वर्तमान पता ग्राम छलेरा, सेक्टर-44, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर उम्र 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1-चोरी की होन्डा BRIO कार रजि0 नं0 UK07AS4402

2-चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे रजि0 नं0 UP22AD2257 फर्जी नं0 (सही रजि0 नं0 DL1SAG3154)

3-चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 DL9SCE7784

4-01 एलईडी0

5-01 अंगूठी पीली धातु

6-02 लैपटॉप

7-01 ड्रिल मशीन

8-01 ग्राईन्डर

9-14 ग्राम पीली धातु का हाथ का कड़ा

10-02 ग्राम की पीली धातु की अंगूठी

11-01 चैन पीली धातु वजन लगभग 10 ग्राम

12-38 सिक्के सिल्वर धातु व सिल्वर धातु की ज्वैलरी कुल वजन लगभग 382 ग्राम

13-45060 रूपये नगद चोरी के

14-विदेश करेंसी के 10 नोट

15-03 कीमती घड़ियाँ

16-06 गाड़ी की चाबी

17-01 स्पीकर

18-01 हीटर

19-01 मोटर पम्प क्राम्पटन कम्पनी

बरामद किये गये सामान की कुल कीमत लगभग 20 लाख रूपये है।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त विशाल--**

1.मु0अ0सं0 1065/2020 धारा 414 भादवि0 थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 1067/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 0700/2022 धारा 380 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 0707/2022 धारा 380 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 0715/2022 धारा 380 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 0771/2022 धारा 380 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 0797/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0 0054/2023 धारा 380 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0 0062/2023 धारा 380/411 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0 0073/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

11.मु0अ0सं0 0278/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

12.मु0अ0सं0 0379/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त आशीष--**

1. मु0अ0सं0 0082/2023 धारा 379 भादवि0 थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0466/2022 धारा 379 भादवि0 थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0056/2023 धारा 120बी,379,411 भादवि0 थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 0072/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 0379/2025 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त शाहरूख--**

1. मु0अ0सं0 0082/2023 धारा 379 भादवि0 थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0 0466/2022 धारा 379 भादवि0 थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0सं0 0056/2023 धारा 120बी,379,411 भादवि0 थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।

4. मु0अ0सं0 0379/2025 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्ता रूबीना--मु0अ0सं0 0379/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा योजना तैयार कर कम्पनी का पैसा गबन करके लूट की सूचना देने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 लाख रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन व एक लाईटर पिस्टल बरामद।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा उत्साहवर्धन हेतु पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त ओमपाल पुत्र बलबीर Asteroid Shelters Homes Pvt. Ltd. Galaxy Blue Sapphire Plaza कम्पनी सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट मे कर्मचारी है, जो कम्पनी की गाड़ी चलाता है। दिनाँक 12.12.2025 को कम्पनी की गाड़ी कार रजि नंबर DL11CB3076 से अभियुक्त चालक ओमपाल व कम्पनी का कैशियर नवल किशोर पुत्र स्व0 श्रीराम अग्रवाल, दोनो लक्ष्मी नगर दिल्ली से कम्पनी के दो लाख रुपये कैश लेकर वापस नोएडा आ रहे थे। जब दोनों व्यक्ति सेक्टर-62 अंडरपास पहुँचे तो अभियुक्त ओमपाल द्वारा पूर्व में तैयार की गयी योजना के तहत एक गाड़ी बैलेनो नं0-DL2CBB 2804 से ओमपाल के साथियों द्वारा पीछे से आकर उनकी गाड़ी रुकवायी गयी और एक लाइटर पिस्टल दिखाकर गाड़ी में बैग में रखे दो लाख रुपये कैश व चालक ओमपाल व कैशियर नवल किशोर के मोबाइल व गाड़ी की चाबी ले गये। अभियुक्त ओमपाल उस समय कम्पनी के कैशियर को भी यह समझाने में सफल रहा कि हमारे साथ लूट हुई है, जिससे कैशियर नवल किशोर को ओमपाल आदि पर कोई शक न हो। वादी नवल किशोर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर-63 पर मु0अ0सं0-552/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में टीमें गठित की गयी। दिनांक **16.12.2025** को **थाना सेक्टर-63 पुलिस** टीम द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 05 अभियुक्त 1.ओमपाल (कम्पनी चालक) 2.वीर प्रताप 3.सोनू गुर्जर 4.अभिलाष राय 5.अंकित सतनामी को बहलोलपुर अण्डरपास के पास ग्रीन बेल्ट से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 लाख रुपये नगद, 2 मोबाइल फोन व एक लाईटर पिस्टल बरामद किया गया है। विवेचना के दौरान लूट की घटना न होने के कारण कम्पनी का पैसा गबन करने के मिले साक्ष्यों के आधार पर धारा 318(4)/316(4)/3(5)/61(2) बीएनएस के अन्तर्गत तरमीम कर विवेचना प्रचलित है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त वीर प्रताप पूर्व में वादी की कम्पनी में कार चालक रहा है, जिसके द्वारा सह अभियुक्तगण ओमपाल, सोनू, अभिलाष व अंकित के साथ मिलकर रोहिणी सेक्टर-15, दिल्ली से एक गाड़ी बैलेनो नं0 DL2CBB 2804 को दिनांक 12.12.25 को किराये पर लिया गया तथा कम्पनी के ड्राईवर अभियुक्त ओमपाल के साथ मिलकर बनायी गयी योजना के तहत कम्पनी का पैसा गबन करके घटना को लूट का रंग देने का प्रयास किया गया, जिससे कैशियर नवल किशोर को चालक ओमपाल व पूर्व चालक वीर प्रताप पर कोई शक न हो।

1. अभियुक्त वीर प्रताप द्वारा करीब 05 साल वादी की कम्पनी में चालक के रूप में कार्य कर चुका है। कम्पनी पर ही अभियुक्त वीर प्रताप की मुलाकात सह अभि0 ओमपाल से हुई थी।
2. अभि0 ओमपाल 06 वर्ष से वादी की कम्पनी में चालक के रूप में कार्य कर रहा है।
3. अभि0 वीर प्रताप करीब 15 वर्ष से सोनू गुर्जर को जानता है तथा दोनो की मित्रता है।
4. अभि0 वीर प्रताप ने म0प्र0 में अभिलाष राय के साथ खाद बीज का काम किया था, वहीं पर उसकी मुलाकात सह अभि0 अंकित सतनामी से हुई थी।
5. अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा दिनांक 03.12.2025 की रात्रि में गौर सिटी ग्रेटर नोएडा में मिलकर घटना की योजना तैयार की थी।

अभियुक्तों का विवरण--

1. ओमपाल (कम्पनी चालक) पुत्र बलबीर निवासी रुढवागर, थाना अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष शिक्षा- 8वीं पास।
2. वीर प्रताप पुत्र श्यामलाल सिंह उर्फ श्यामू निवासी ग्राम कोटा मामचारी, थाना करसाई, जिला करोली, राजस्थान उम्र 29 वर्ष शिक्षा- 12वीं पास।
3. सोनू गुर्जर पुत्र भूरा सिंह निवासी ग्राम बयाना, थाना बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान उम्र 29 वर्ष शिक्षा- अनपढ़।
4. अभिलाष राय पुत्र भखत लाल राय निवासी मोहगांव सड़क, थाना कुरई, जिला शिवनी म0प्र0 उम्र 30 वर्ष शिक्षा- 12वीं पास।
5. अंकित सतनामी पुत्र मामचन्द सतनामी निवासी मोहगाँव सडक थाना कुरई, जिला शिवनी म0प्र0 उम्र 24 वर्ष शिक्षा- 10वीं पास।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-552/2025 धारा 318(4)/316(4)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-63, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 176/2022 धारा 306,34 भादवि थाना कुरई म0प्र0 बनाम अभिलाष

बरामदगी का विवरण--

1. 02 लाख रूपये नगद
2. 02 मोबाइल फोन
3. एक लाईटर पिस्टल

3. थाना जेवर पुलिस द्वारा 50,000 रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07/05/2024 को वादी निवासी दिल्ली द्वारा थाना जेवर पर तहरीर देकर अभियुक्तगण द्वारा वादी के नाम से किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर आधार कार्ड व पैन कार्ड की कूटरचना करके फर्जी तरीके से जमीन का मालिक बन अपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधडी से वादी की ग्राम अमरपुर पालका, तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर स्थित भूमि का बैनामा कराने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 172/2024 धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- विवेचना के क्रम में अभियुक्त गुरदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बाढ़न की ढानी खोहरी, कला गुवालदा, थाना टपूकड़ा जिला खैरथल तिजारा अलवर राजस्थान का नाम प्रकाश में आया, जो मुकदमा उपरोक्त में मुख्य अभियुक्त है। अभियुक्त गुरदीप ने जमीन की बिक्री के पश्चात अपने खाते एवं अन्य खातों से रुपये अतिशीघ्र निकाल लिये थे। अभियुक्त गुरदीप उपरोक्त घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट व 84/85 बीएनएसएस के प्रपत्र निर्गत किये गये थे। श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमि0 गौतमबुद्धनगर के द्वारा अभियुक्त गुरदीप सिंह की गिरफ्तारी हेतु 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

दिनांक 16/12/2025 को **थाना जेवर पुलिस** द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से अभियुक्त गुरदीप पुत्र महेन्द्र सिंह को टप्पल रोड़ पर कैलाश अस्पताल के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-- गुरदीप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बाढ़न खोहरी कलां गुवादला मोड़ थाना टपुकड़ा, जनपद खैरथल तिजारा, अलवर, राजस्थान।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 172/2024 धारा 420/467/468/471/120बी/34 भादवि थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 139/2025 धारा 209 बीएनएस थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।